लेख

जल व ज़मीन पर औरतों का हक़

सीमा कुलकर्णी

दुनिया भर में औरतों का पानी के साथ एक खास रिश्ता है—वे सामाजिक, सांस्कृतिक व जीवन को सतत बनाए रखने में उसकी अहमियत जानती हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। देश भर की गरीब औरतें विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी हिस्सों में बसी औरतें एक मटके पानी की तलाश में मीलों दूर तक जाती हैं। परन्तु ज़मीनी अधिकारों के अभाव में वे उत्पादन के लिए पानी अर्जित करने अथवा नई नीतियों के संदर्भ में गठित जल उपयोगकर्ता संस्थानों की सक्रिय सदस्य नहीं बन पाती हैं।

पानी तक पहुंच विभिन्न सामाजिक, तकनीकी व उत्पादन संबंधों द्वारा मध्यस्त होती है। वर्ग, जाति, लिंग, जातीय समूहों व अल्पसंख्यकों के आधार पर किया सामाजिक विभाजन सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सम्पत्ति, तकनीक, ज्ञान व जानकारी तक पहुंच व निर्णय प्रक्रियाओं पर भी इस विभाजन का असर पड़ता है। पानी के संदर्भ में भी इन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है।

पानी के इर्द-गिर्द विभिन्न गतिविधियों, पहुंच नियंत्रण, निर्णय, ज्ञान आदि में इस असमानता को देखा जा सकता है। भारत में जहां तक उत्पादक जल का प्रश्न है, महिलाएं कृषि सिंचाई में विस्तृत रूप से शामिल हैं। लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं कृषि संबंधी गतिविधियों में बतौर प्रशासक व मज़दूर जुड़ी हैं। महिलाएं मत्स्य पालन व लघु कुटीर उद्योगों में भी शामिल हैं। कृषि सिंचाई से जुड़ी होने के बावजूद वे प्रमुख निणार्यक समूहों का हिस्सा नहीं हैं। और न ही उत्पादन के लिए आवश्यक पानी तक उनकी पहुंच

है क्योंकि यह ज़मीन पर मालिकाना हक़ से सीधे तौर पर संबंधित है।

औरतों ने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद सिंचाई को पुरुष प्रधान क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। लिहाज़ा सार्वजनिक क्षेत्र में सिंचाई का प्रशासन करने वाले जल उपयोगी संस्थानों में महिलाओं को निर्णायक प्रक्रियाओं में शामिल नहीं किया जाता। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए *सोपीकॉम संस्थान* ने सिंचाई खण्ड में महिलाओं की प्रत्यक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

मराठवाड़ा क्षेत्र के सूखाग्रस्त उस्मानाबाद ज़िले में खुदावड़ी गांव है। यह गांव बोढ़ी माध्यम सिंचाई परियोजना के अंतिम छोर पर स्थित है। परियोजना समाप्त होने के बावजूद यहां पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचता था। इसलिए गांववासियों ने एकजुट होकर एक जल उपयोगकर्ता समिति का गठन किया। अनेक चर्चाओं व बहसों के बाद पानी के समान वितरण के लिए यह तय किया गया कि पहली बार में सभी ज़मींदार एक हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई करेगें और अगर अतिरिक्त पानी बचा तो ज़्यादा ज़मीन वाले इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नहर के अधिकार क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले इलाके में पानी आबंटन के नियमों को लेकर अधिक मुश्किलें थीं। काफी बातचीत और कुछ विरोध के बाद निश्चित किया गया कि 15 प्रतिशत पानी गांव के भूमिहीन परिवारों के लिए नियत किया जाएगा। इसी समझौते के चलते ही सार्वजनिक खण्ड सिंचाई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम विकसित किया गया। मुख्य सवाल यह था कि ज़मीन के अभाव में भूमिहीन इस पानी का कहां उपयोग करेंगे? इसके लिए तीन सुझाव दिए गये। पहला— ज़मींदारों के खेत में मिलकर काम किया जाए तथा पानी के अपने हिस्से के बदले भूमिहीन को फसल का हिस्सा दिया जाए। दूसरा— भूमिहीन पानी के बदले नकद मुआवज़ा ले लें। तीसरा— भूमिहीन सामुदायिक या निजी बंजर ज़मीन किराए पर लेकर अपना पानी उपयोग करके उस पर खेती करने का प्रयास करें।

किन्हीं कारणों से पहले व दूसरे सुझावों पर अमल नहीं किया जा सका। तीसरे सुझाव को लेकर भी भूमिहीन पुरुषों में हिचक थी क्योंकि उन्हें इसमें कोई फायदा नज़र

नहीं आ रहा था। पर औरतें इसे अपने ईंधन व चारे की ज़रूरत पूरा करने के साधन और कुछ रोज़गार पाने के मौके के रूप में देख रही थीं। तब से यह एक महिला कार्यक्रम बन गया।

पर अपने हिस्से का पानी किस ज़मीन पर इस्तेमाल किया जाए—यह सवाल औरतों के सामने ज्यों का त्यों खड़ा था। काफी मनुहार और आश्वासन दिलाने के बाद छः ज़मींदारों ने अपनी दस हेक्टेयर बंजर भूमि भूमिहीन व महिला समूह को लिखित अनुबंध के माध्यम से किराये पर दे दी। अब ज़मीन के उपयोग को लेकर काफी सुझाव थे। पुरुष इस पर अंगूर जैसी मुनाफे वाली नकदी फसल उगाना चाहते थे परन्तु शुरुआत में लगने वाली पूंजी, बाज़ार के उतार-चढ़ाव, उच्च स्तरीय कौशल आदि के कारण ऐसा करना आसान नहीं था। पुरुषों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई परन्तु औरतों ने इस पर पेड़ लगाकर अपनी ईंधन व चारे की कमी पूरा करने का मन बना लिया। उन्होंने यह भी सोच लिया था कि दस वर्ष के बाद इस ज़मीन पर लगे पेड़ों की बारी-बारी कटाई करने से उन्हें नकद आमदनी भी होने लगेगी। औरतों ने खुद को एक पंजीकृत क्लैक्टिव का भी रूप देकर कानूनी वैधता हासिल कर ली। इस क्लैक्टिव को *पर्यायी विकास संस्था* को नाम दिया गया और इसके सदस्य तेरह भूमिहीन परिवार थे।

औरतों ने एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर गहन खेती भी करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने 'प्रयोग परिवार' नाम के अनौपचारिक प्रयोगात्मक किसान समूह से मदद ली जो 'लीसा' यानी बाहरी निवेश वाली सतत तकनीकों की खेती का प्रचार कर रहे थे।

एक अन्य मुद्दा जो इस दौरान उभर कर आया वह फसल की हिस्सेदारी और ज़मींदारों को अपनी ज़मीन के एवज़ में मिलने वाले फायदे से जुड़ा था। अक्सर ज़मीन व पानी पर नियंत्रण होने के कारण ज़मींदार अधिक प्रभावशाली रहते थे परन्तु अब पानी पर मिल्कियत होने के कारण औरतों के समूह के हाथ में ताकत थी। विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि फसल को तीन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा— 40% जमींदारों का हिस्सा, 40% औरतों का तथा बाकी बचा 20% हिस्सा क्लैक्टिव के पूंजीकोष में जमा किया जाएगा।

औरतों ने एक स्वावलंबन समूह भी शुरू किया जिसने उनकी ऋण संबंधी ज़रूरतों में मदद की। उन्होंने भेड़ पालने की सरकारी स्कीम में भी हिस्सेदारी की। आज महिलाओं के क्लैक्टिव के पास एक लाख कीमत की भेड़ें, एक एकड़ (खरीदी हुई) कृषि भूमि तथा भेड़ों के लिए एक स्थाई तबेला है। महिला क्लैक्टिव धीरे-धीरे अपने ऋण भी चुका रही है।

भूमिहीन औरतों को किराए पर मिली बंजर भूमि खुदावाड़ी विकास क्षेत्र के बाहर पड़ती थी। इस भूमि को बतौर चारागाह इस्तेमाल किया जाता था और पिछले बीस वर्षों से इसका कोई अन्य उपयोग नहीं किया गया था। यह ज़मीन पथरीली, ऊबड़-खाबड़, संसक्त और छोटे टीलों वाली थी। इस भूमि पर कोई पेड़ नहीं था, मिट्टी हट चुकी थी और पूरे साल भर वह सूखी और पपड़ाई रहती थी। ज़मीन एक पहाड़ी के ऊपर ढलान पर स्थित थी। यहां पर पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। जल सुविधाओं के निर्माण के लिए पाइप डालना, निर्माण सामग्री पहुंचाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस भूमि पर ऐसी नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था जो इन समस्याओं को कम लागत में हल कर सके जिससे उनके सफल होने पर उसे इसी तरह की समस्या वाले अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सके। औरतों को नई तकनीकें जैसे ए-फ्रेम प्रक्रिया, पॉली-ड्रिप पद्धति, छंटाई, घास-पतवार से ढकना, व बायोमास बढ़त की निगरानी करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया।

औरतों ने इस प्रशिक्षण के बाद एक तकनीकी सहायक की मदद से पानी की लाईन जाने के लिए विभिन्न जगहों को चिन्हित किया। दस हक्टेयर के इस प्लॉट के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि टीले के ऊपर पानी को नहर से खींचकर ही लाया जा सकता है। पानी के स्रोत और प्लाट के बीच गहन ऊंचाई होने के कारण तीव्र ऊर्जा वाले पंपिंग ढांचे का उपयोग आवश्यक था। इस ज़मीन के सतत विकास के लिए व्यापक स्तर पर जल व मिट्टी संरक्षण भी ज़रूरी था। *सोपीकॉम संस्थान* के साथ मिलकर औरतों के क्लैक्टिव ने भूमि के लिए सबसे उपयोगी जल-मिट्टी संरक्षण परियोजना तैयार की गई। यह परियोजना रोज़गार के साथ-साथ मिट्टी व पानी के बहाव को भी रोकने में मदद करेगी। पहले वर्ष में एक छोटे से हिस्से पर खेती की गई जिससे पानी की कमी न पड़े।

इसके साथ-साथ गड्ढे व नालियां भी खोदी गईं जिनमें सूखी पत्तियां, ताज़ी हरी पत्तियां, तिनके, जड़ें आदि डालकर उपजाऊ मिट्टी तैयार की गई। भूमि पर ऐसे पौधे उगाए गए जो मिट्टी में नाइट्रोजिन की मात्रा को बढ़ाने में मददगार रहे। एक व्यापक विकास परियोजना के माध्यम से औरतों ने बांध, नहरों व पुश्ते बनाने के लिए जगह निश्चित की गई। औरतों के हर कदम पर इस कार्यक्रम से जुड़ने से यह सुनिश्चित हो गया कि यह कार्यक्रम उनका अपना है और इसको सुचारु रूप से पंद्रह वर्ष तक चलाने की ज़िम्मेदारी भी क्लैक्टिव की है।

सोपीकॉम संस्थान की मदद से औरतों के क्लैक्टिव ने तीन प्रमुख स्तरों पर सफलता हासिल की है। पहला—जल उपयोगकर्त्ता संस्थानों के साथ अनुबंध करके पानी पर अधिकार की स्थापना। दूसरा—कौशल विकास के ज़रिए ज़मीन पर दावेदारी तथा पानी व ज़मीन संसाधनों के सम्पूर्ण इस्तेमाल की क्षमता का विकास। तीसरा—अधिकारों की सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रावधान जैसे पानी के इस्तेमाल व भूमि के किराए के लिए कानूनी अनुबंध।

खुदावाड़ी की औरतों के अनुभव यह दर्शाते है कि पानी का अधिकार ज़मीन की मिल्कियत के बिना बेमानी है। गांव के मामलों में औरतों की शिरकत तथा आर्थिक गतिविधियों और सम्पत्ति में उनकी हिस्सेदारी ही सही मायनों में उन्हें अधिकार प्रदान कर सकती है।

सीमा कुलकर्णी *सोपीकॉम संगठन में वरिष्ठ फैलो के पद पर कार्यरत हैं।*